



कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जिला-सिंगरौली (म.प्र.)

क्रमांक/ 351 /निविदा बाढ़ राहत/2017

सिंगरौली दिनांक 30/06/2017

द्वितीय अल्प अवधि निविदा आमंत्रण-सूचना

(बाढ़ बचाव आपदा प्रबंधन उपकरण कय करने हेतु निविदा)

वित्तीय वर्ष 2017-18 बाढ़ बचाव आपदा प्रबंधन उपकरण कय हेतु दिनांक 11.07.2017 को दिन के 3.00 बजे तक निविदाएँ सील बंद लिफाफे में आमंत्रित है। निविदा प्रपत्र प्राप्त करने हेतु रूपयें 200 (दो सौ रूपये) नगद जमा कर अथवा बेबसाईड WWW.singrauli.nic.in डाउनलोड कर प्राप्त किया जा सकता है। निविदाकार को धरोहर की राशि 5000 (पाँच हजार मात्र) का राष्ट्रीयकृत बैंक का ड्राफ्ट कलेक्टर जिला सिंगरौली के नाम जमा करना होगा। अधिक जानकारी के लिए कार्यालयीन कार्य दिवस में जिला राहत शाखा से सम्पर्क किया जा सकता है। प्राप्त निविदायें उपस्थित निविदाकर्ताओं के समक्ष दिनांक 11.07.2017 को सायं 4.00 बजे खोली जावेगी।

सामग्री का विवरण

क्रमांक	सामग्री का नाम	अनुमानित संख्या	राशि अंकों में प्रतिनग	राशि शब्दों में प्रतिनग
1	लाइफ वाय (रिंग)	30 नग		
2	नाइलोन रस्सा 100 मी. (330 फिट)	05 नग		
3	लाइफ जैकेट	10 नग		
4	लाईट वेट ड्रेगन सर्च लाइट	04 नग		

- शर्तें:-
- 1-सामग्री कार्यालय आवश्यकतानुसार बढ़ाई या घटाई जा सकती है।
 - 2-निविदा संबंधी समस्त निर्णय कलेक्टर सिंगरौली के अंतिम एवं सर्वमान्य होंगे।
 - 3-निविदा कर्ता को बिन्दु क्र० 1 से 8 तक की समस्त जानकारी उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
 - 4-निविदा कर्ता को आदेश पारित के 07 दिवस के अंदर सामग्री आपूर्ति कर देयक 02 प्रतियां में जमा करना होगा।
 - 5-निर्धारित अवधि में सामग्री आपूर्ति न करने पर आदेश स्वमेव निरस्त हो जायेगा एवं जमा अमानत राशि राजसात कर ली जायेगी।
 - 6-उक्त दर सम्पूर्ण वित्तीय वर्ष 2017-18 में लागू होगी।
 - 7-निविदाकार दुकान एवं स्थापना अधिनियम के तहत पंजीकृत होना चाहिए।
 - 8-निविदाकार को अपना TIN नं. देना अनिवार्य होगा।
 - 9-निविदाकार कामिर्शियल टैक्स दाता होना अनिवार्य होगा।
 - 10-निविदाकार ब्लैक लिस्टिड नहीं होना चाहिए।
 - 11-निविदाकार आयकर दाता है या नहीं। यदि है तो पिछले तीन साल का इनकम टैक्स रिटर्न की स्वप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।

(कलेक्टर महोदय द्वारा अनुमोदित)

30/06/17

डिप्टी कलेक्टर

हेतु कलेक्टर

जिला-सिंगरौली (म०प्र०)

सिंगरौली दिनांक 30/06/2017

पु०क्रमांक/ 352 /निविदा बाढ़ राहत/2017

प्रतिलिपि:-

1. जिला जनसम्पर्क अधिकारी जिला सिंगरौली की ओर समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु।
2. जिला सूचना अधिकारी एन.आई.सी. जिला सिंगरौली की ओर बेब साइड में प्रकाशन हेतु।
3. कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।

30/06/17

डिप्टी कलेक्टर

हेतु कलेक्टर

जिला-सिंगरौली (म०प्र०)

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जिला-सिंगरौली (म.प्र.)

निविदा प्रपत्र

(बाढ़ बचाव आपदा प्रबंधन उपकरण कय हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए)

1. फर्म / दुकानदार का नाम.....
2. पता:-.....
3. रजिस्ट्रेशन नम्बर-.....
4. पैन नम्बर-..... 5. टिन नम्बर-.....
6. मोबाईल नम्बर 7. ई मेल पता-.....
8. अमानत राशि का डिमांड ड्राफ्ट कमांक दिनांक

सामग्री का विवरण

क्र०	सामग्री का नाम	अनुमानित संख्या	राशि अंकों मे प्रतिनग	राशि शब्दों में प्रतिनग
1	लाइफ वाय (रिंग)	30 नग		
2	नाइलोन रस्सा 100 मी.(330 फिट)	05 नग		
3	लाइफ जैकेट	10 नग		
4	लाईट वेट ड्रैगन सर्च लाईट	04 नग		

- शर्त:-1-सामग्री कार्यालय आवश्यकतानुसार बढ़ाई या घटाई जा सकती है।
2-निविदा संबंधी समस्त निर्णय कलेक्टर सिंगरौली के अंतिम एवं सर्वमान्य होंगे।
3-निविदा कर्ता को बिन्दु क्र० 1 से 8 तक की समस्त जानकारी उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
4-निविदा कर्ता को आदेश पारित के 07 दिवस के अंदर सामग्री आपूर्ति कर देयक 02 प्रतियां में जमा करना होगा।
5-निर्धारित अवधि में सामग्री आपूर्ति न करने पर आदेश स्वमेव निरस्त हो जायेगा एवं जमा अमानत राशि राजसात कर ली जायेगी।
6-उक्त दर सम्पूर्ण वित्तीय वर्ष 2017-18 में लागू होगी।
7-निविदाकार दुकान एवं स्थापना अधिनियम के तहत पंजीकृत होना चाहिए।
8-निविदाकार को अपना TIN नं. देना अनिवार्य होगा।
9-निविदाकार कामिर्शियल टैक्स दाता होना अनिवार्य होगा।
10-निविदाकार ब्लैक लिस्टेड नहीं होना चाहिए।
11-निविदाकार आयकर दाता है या नहीं। यदि है तो पिछले तीन साल का इनकम टैक्स रिटर्न की स्वप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।

हस्ताक्षर